613
13.00

(1)

छाया प्रतिलिपि आदेश दिनांक 17-1-13 (अन्तर्गत पत्रावली)

वाद संख्या 26/12, धारा – 143 ज०वि०अधिनि
ग्राम – काजीपुरा परगना [illegible] जिला मुरादाबाद
गायत्री एजूकेशन ट्रस्ट बनाम उ०प्र० सरकार

तारीख फैसला – 17/1/13
न्यायालय – उप जिलाधिकारी मुरादाबाद

संलग्न छाया प्रति (1)

राजस्व अभिलेखागार मुरादाबाद

सवाल से
3298
01/10/18

P-12

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुरादाबाद।

वाद सं0– 26/2012 धारा–143 ज0वि0अधिनियम

ग्राम–काजीपुरा तहसील व जिला मुरादाबाद

गायत्री एजूकेशनल ट्रस्ट ख–56, नवीन नगर कॉठ रोड मुरादाबाद द्वारा आशीष अग्रवाल पुत्र सुनील कुमार अग्रवाल निवासी ख–56, नवीन नगर कॉठ रोड मुरादाबाद मैनेजिंग ट्रस्टी व श्रीमती स्वाती गर्ग पत्नी सचिन देव गोयल डी–152 टी0डी0आई0 सिटी मुरादाबाद।

बनाम

उ0प्र0 सरकार।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक गायत्री एजूकेशनल ट्रस्ट ख–56, नवीन नगर कॉठ रोड मुरादाबाद द्वारा आशीष अग्रवाल पुत्र सुनील कुमार अग्रवाल निवासी ख–56, नवीन नगर कॉठ रोड मुरादाबाद मैनेजिंग ट्रस्टी व श्रीमती स्वाती गर्ग पत्नी सचिन देव गोयल डी–152 टी0डी0आई0 सिटी मुरादाबाद के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2012 के आधार पर प्रारम्भ की गई। आवेदक के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर मुरादाबाद से जॉच कराकर आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार सदर ने अपनी जॉच आख्या दिनांक 16.01.2013 प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम काजीपुरा स्थित खाता संख्या 318 गाटा संख्या 10अ/6.665, 10ब/0.332 हे0 कुल दो किते रकवा 6.997हे0 लगान रूपये 185.08 पैसे में से 0.388 हे0 लगान 10.25 पैसे आवेदक के नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, मौके पर बाउण्ड्री बनी है तथा खेती नही हो रही है। भूमि का प्रयोग अकृषिक है। प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नही हो रहा है। भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। नवशा नजरी संलग्न है। सी0एच0–45 संलग्न है। प्रश्नगत भूमि अकृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है। अन्त में उक्त प्रश्नगत भूमि को ज0वि0अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गई है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 16.01.2013 के साथ संलग्न किये गये प्रपत्रों का भली–भांति अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत उपरोक्त भूमि आवेदकगण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और मौके पर बाउण्ड्रीवाल बनी है तथा खेती नहीं हो रही है। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 16.01.2013 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 16.01.2013 मय नक्शा नजरी स्वीकार की जाती है। ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित आराजी खाता संख्या 318 गाटा संख्या 10अ/6.665, 10ब/0.332 हे0 कुल दो किते रकवा 6.997हे0 लगान रूपये 185.08 पैसे में से 0.388 हे0 लगान 10.25 पैसे को अकृषिक घोषित किया जाता है। मालगुजारी समाप्त की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सदर एवं उप निबन्धक, मुरादाबाद को नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु भेजी जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 17.01.2013

(रमेश चन्द्र)
उप जिलाधिकारी सदर
मुरादाबाद

उक्त निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं न्यायालय की मुद्रा सहित खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक 17.01.2013

उप जिलाधिकारी सदर 17/1/13
मुरादाबाद

प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 3298
01/12/18
2/12
13.00
01/12/18
11/12/18

सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखपाल
11/12/18